[करार के रूप में मोहर लगाये जाने हेतु, सत्यापित नहीं किया जाना चाहिए]

<u>सुरक्षित जमा लॉकर करार</u>

यह लॉकर करार भारतीय स्टेट बैंक और इस करार को निष्पादित करने वाले व्यक्ति 'ग्राहक' के बीच उस स्थान पर तथा अनुसूची - I (करार) में उल्लिखित तारीख को किया जाता है।

अभिव्यक्ति "बैंक" में इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिती शामिल होंगे; तथा अभिव्यक्ति "ग्राहक" शब्द में शामिल होंगे जब ग्राहक निम्नानुसार होंगे:

(क) एक या एक से अधिक व्यक्ति, उनसे/संबंधित उत्तराधिकारी (यों), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों) और कानूनी प्रतिनिधि (यों);

(ख) स्वामित्व फर्म, मालिक और उसके उत्तराधिकारी (यों), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों) और कानूनी प्रतिनिधि (ओं);

(ग) एक साझेदारी फर्म, ऐसी फर्म और उसके उत्तराधिकारी, ऐसी फर्म के भागीदार, उनमें से उत्तरजीवी या बचे हुए लोग और उत्तराधिकारी (ओं), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों), उनमें से प्रत्येक के कानूनी प्रतिनिधि (यों) ;

(घ) एक हिंदू अविभक्त परिवार (एचयुएफ), उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी (यों), कानूनी उत्तराधिकारी (यों), निष्पादक (कों), प्रशासक (कों) और कानूनी प्रतिनिधि (यों); और

(ङ) एक लिमिटेड कंपनी, उसके उत्तराधिकारी।

(बैंक, और प्रत्येक ग्राहक को **"पार्टी"** और सामूहिक रूप से **"पार्टियों"** के रूप में संदर्भित किया जाता है)

जबकि:

(क) सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक ने ऐसी सुविधा के लिए बैंक से संपर्क किया है;

(ख) बैंक ग्राहक को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत है; और

(ग) पार्टियों ने इस संबंध में उनके बीच सहमति निर्धारित करने के लिए इस करार को निष्पादित करने का निर्णय लिया है।

अथवा

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित अनुदेशों के तहत लॉकर सुविधा जारी रखने के इच्छुक ग्राहक आरबीआई/2021-2022/86 दिनांक 18.08.2021 (बैंकों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा सुविधा- संशोधित अनुदेश) और बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित निर्देशों के तहत ग्राहक को सुरक्षित जमा लॉकर प्रदान करने के लिए सहमत होने के कारण, पार्टियां मौजूदा लॉकर करार ("मौजूदा करार") को इस करार के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत हो गई हैं। (यह खंड मौजूदा ग्राहकों के लिए लागू है)।

यह पार्टियों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमती है:

1. लॉकर लाइसेंस

1.1 बैंक लाइसेंसकर्ता के तौर पर एतदद्वारा एक लाइसेंसधारक के रूप में, ग्राहक को सुरक्षित जमा लॉकर उपयोग करने का लाइसेंस प्रदान करता है, जिसका विवरण इस करार की अनुसूची-I में विशेष रूप से वर्णित है (इसके बाद **"लॉकर"** के रूप में संदर्भित) इस करार के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है।

1.2 ग्राहक इसके द्वारा अनुसूची-I में विर्निदिष्ट शुल्क के लिए दिए गए लाइसेंस को

किराए ("किराया") के माध्यम से स्वीकार करता है।

1.3 लॉकर किराया वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक करार के निष्पादित माह के दौरान अग्रिम रूप में अनुपातिक आधार पर देय होगा जिसमें अगले वर्ष के 12 महीने तक का किराया और किराए पर लिया गया माह भी शामिल होगा। उसके बाद हर वर्ष 2 अप्रैल को लॉकर का किराया वसूला जाएगा। अनुसूची-I में निर्दिष्ट एकबारगी पंजीकरण किराया भी वसूला जाएगा।

1.4 लॉकर का उपयोग करने के लिए एतद्द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है जो:

(क) व्यक्तिगत और ग्राहक के स्वयं के उपयोग के लिए और ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए नहीं;

(ख) गैर-हस्तांतरणीय;

(ग) केवल वैध उद्देश्यों के लिए जैसे गहने और दस्तावेजों जैसे कीमती वस्तुओं के भंडारण के लिए, लेकिन किसी भी नकदी या मुद्रा को संग्रहीत करने के लिए नहीं.

(घ) लॉकर का उपयोग निम्नलिखित वस्तुओं के भंडारण के लिए नहीं किया जाएगा:

i. शस्त्रों, हथियारों, विस्फोटक, मादक पदार्थ और/या कोई प्रतिबंधित सामग्री; और/या
ii. कोई भी नश्वर सामग्री और/या रेडियोएक्टिव सामग्री और/या कोई अवैध पदार्थ /या कोई भी सामग्री जिसका उपयोग भारत के कानूनों द्वारा निषिद्ध है; और/ या
iii. कोई भी सामग्री जो बैंक या उसके किसी भी ग्राहक के लिए कोई खतरा या उपद्रव पैदा कर सकती है।

1.5 ग्राहक के पास इस करार के तहत निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार लॉकर के प्रचालन और उसके उपयोग संबंधी अधिकार के अलावा लॉकर में कोई अन्य अधिकार या संपत्ति का अधिकार नहीं होगी।

1.6 ग्राहक को लॉकर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी:

(क) लॉकर का संचालन बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विशिष्ट समय के दौरान बैंक के कार्य दिवस पर और ऐसी अधिसूचना के अभाव में, बैंक के व्यावसायिक कार्य समय के दौरान किया जाएगा। तथापि, यदि बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी वजह जैसे बाढ़, दंगा, कर्फ्यू, तालाबंदी आदि कारणों से कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो बैंक लॉकर के संचालन की अनुमति देने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) ग्राहक द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके में बैंक के रिकॉर्ड में ऐसे ऑपरेशन का विवरण दर्ज करने के बाद; अर्थात्

सुरक्षित जमा लॉकर एक्सेस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें जिसे ग्राहक द्वारा लॉकर के प्रचालन बैंक द्वारा सत्यापित किया जाएगा ;

(ग) बैंक द्वारा मांगे जाने पर पहचान प्रमाण प्रदान करें।

1.7 यदि लॉकर किराया धारक विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से लॉकर का संचालन करने का इच्छुक है, तो किराए पर लेने वाले एजेंट या अटॉर्नी तक पहुंच की अनुमति केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दी जानी चाहिए, जिसके स्वरूप बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है तथा नोटरी पब्लिक/कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत निष्पादित किया जाना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी विशिष्ट होगा और उस पर लॉकर नंबर का भी उल्लेख करना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक लॉकर को संचालित कर सकता है लेकिन इसे सरेंडर का अधिकार उसके पास नहीं होगा।

1.8 ग्राहक द्वारा लॉकर सरेंडर करने की स्थिति में, उससे उस माह तक का किराया वसूला जाएगा जिस माह में लॉकर सरेंडर किया गया है और शेष अवधि के लिए अग्रिम किराया, यदि लिया गया है तो वापस कर दिया जाएगा।

2. ग्राहक के अंडरटेकिंग और दायित्व

2.1 ग्राहक द्वारा:

(क) लॉकर का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए लागू कानून और विनियमों के अनुसार किया जाएगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया है और

(ख) विनियमों के तहत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेश का पालन किया जाएगा।

(ग) लॉकर संचालन के लिए नियमों और विनियमों का पालन करें जो बैंक अथवा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं ;

(घ) लॉकर खोलने के लिए बैंक द्वारा प्रदान की चाभी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान तंत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा और इसे किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ने नहीं दिया जाएगा, ताकि लॉकर के अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके;

(ङ) बैंक द्वारा प्रदान की गई लॉकर की चाभी या लॉकर के प्रचालन के लिए जनरेट किए गए पासवर्ड के दुरुपयोग के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और बैंक चाभी या पासवर्ड के किसी भी प्रकार के अनधिकृत उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(च) लॉकर को केवल चाभी, पासवर्ड या बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य पहचान तंत्र का उपयोग करके संचालित करें और अन्यथा नहीं;

(छ) **लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाभी या किसी अन्य पहचान तंत्र के साथ छेड़छाड़ न करें या उसकी प्रति न बनाएं**

(ज) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाभी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान तंत्र के गुम हो जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचित करें और लॉकर को खोलने के लिए लॉक के परिवर्तन के लिए नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा और इसका खर्च भी वहन किया जाएगा, परंतु जहां लॉकर को संयुक्त नाम पर किराए पर लिया गया हो, चाबी के नुकसान की सूचना देने वाले पत्र पर सभी किराएदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और लॉक/मरम्मत के बदलाव का कार्य बैंक द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता के माध्यम से ही किया जाएगा।

(झ) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाभी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान तंत्र के मिल जाने पर बैंक को तुरंत वापिस करें, जिसके खो जाने की सूचना पूर्व में बैंक को दी गई थी।

(ञ) ग्राहक के पते में परिवर्तन के मामले में फोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सहित नया पता और संपर्क विवरण बैंक को तुरंत सूचित करें।

(ट) ग्राहक द्वारा आवंटित/किराए पर लिए गए लॉकर के अलावा किसी अन्य लॉकर का उपयोग न करें।

(ठ) देय होने पर बैंक को किराए का भुगतान करें और बैंक द्वारा किए गए निम्न सभी खर्चों का वहन करें-

i. बैंक द्वारा प्रदान की गई चाभी के खो जाने की ग्राहक की रिपोर्टिंग पर लॉकर को बदलना असैा लॉकर की मरम्मत करना; और

ii. करार में किए गए समझौते के अनुसार लॉकर को तोड़े जाने की स्थिति में

(ड) ऐसी राशि को सावधि जमा में उस अवधि के लिए रखें जो तीन वर्षों के लिए लॉकर किराए को कवर करने के लिए पर्याप्त होगी और इस समझौते में उल्लिखित परिस्थितियों में लॉकर को तोड़ने की लागत भी ***होगी।*** [ऊपर संदर्भित परिपत्र क्र. आरबीआई/2021-2022/86 के अनुसार यह खंड 2.1(एल) मौजूदा ग्राहक पर लागू नहीं होगा, जिसका संतोषजनक ढंग से परिचालन खाता है।

2.2 ग्राहक लॉकर का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधि के लिए नहीं करेगा या लॉकर में कुछ भी अवैध/प्रतिबंधित या कोई जोखिम वाला पदार्थ नहीं रखेगा। यदि बैंक को लॉकर में ग्राहक द्वारा किसी अवैध/प्रतिबंधित या जोखिम वाले पदार्थ जमा करने का संदेह होता है, तो ग्राहक सहमत होता है और यह स्वीकार करता है कि बैंक को इस संबंध में कानूनी औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन लॉकर खोलने, लॉकर का उपयोग करने के अधिकार को समाप्त करने या इस समझौते

की समाप्ति सहित ग्राहक के खिलाफ ऐसी उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इस संबंध में बैंक के अधिकार सीमित नहीं होंगे और बैंक ऐसे सभी कार्य करने का हकदार होगा जिनकी कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

3. **बैंक के अधिकार**

3.1 बैंक को यह अधिकार होगा कि:

(क) लॉकर के संबंध में ग्राहक द्वारा यदि अग्रिम/देय तिथि पर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा किए गए किराए और किसी अन्य खर्चों को ग्राहक के खाते को नामे कर वसूल करें,; और

(ख) लॉकर को खोलने/उसके प्रचालन की अनुमति न दें जब -

(i) यदि लॉकर पर देय किराये का भुगतान नहीं किया जाता है; और

(ii) लॉकर के प्रचालन/उसे खोलने के दौरान बैंक द्वारा मांगे जाने की स्थिति में ग्राहक पहचान संबंधी प्रमाण प्रदान करने में विफल रहता है।

3.2 **लाइसेंस की समाप्ति**

3.2.1 इस करार के अधीन ग्राहक द्वारा किसी भी उल्लंघन या चूक की स्थिति में, लॉकर किराए का भुगतान न करने के कारण हुए उल्लंघन के अलावा, जिसके लिए बैंक द्वारा इस समझौते की अनुसूची II के संदर्भ में कदम उठाए जा सकते हैं, ग्राहक को कम से कम 3 महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी करने के उपरांत इस करार और इसके तहत दिए गए लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार होगा जो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा तथा (i) ईमेल द्वारा जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है; और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप/इसी तरह का ऐप जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है) के माध्यम से किया जा सकता है ("समाप्ति सूवना")।

3.2.2 समाप्ति सूचना प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारक को तत्काल और समाप्ति नोटिस के तहत निर्धारित नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले लॉकर से वस्तुओं को वापस लेना होगा और लॉकर का खाली कब्जा बैंक को सौंपना होगा और लॉकर खोलने के लिए प्रदान की गई चाभी, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान तंत्र और दस्तावेज बैंक को सौंपना होगा। खंड 3.2.1 में वर्णित समाप्ति नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर यदि ग्राहक वस्तुओं को वापस लेने और लॉकर चाभी, पासवर्ड आदि करने वापिस करने में विफल रहता है तो बैंक को इस समझौते की अनुसूची II में परिकल्पित प्रक्रिया के संदर्भ में लॉकर को तोड़ने का अधिकार होगा।

3.3 **लॉकर को खोलना और इसकी सामग्री से निपटना**

3.3.1 बैंक को लॉकर को तोड़ने और निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटनाओं के की स्थिति में इस समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इसकी सामग्री से निपटने का अधिकार होगा-

(क) यदि खंड 3.2.1 के अनुसार समाप्ति नोटिस ग्राहक को दिया जाता है और ग्राहक समाप्ति नोटिस के तहत निर्धारित नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद भी लॉकर बैंक को वापिस नहीं करता और उसे खाली नहीं करता है।

(ख) लगातार 3 (तीन) वर्षों तक किराए का भुगतान नहीं किया जाता है ; और

(ग) लॉकर 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है (भले ही किराए का भुगतान किया गया हो या नहीं); और बैंक द्वारा ग्राहक का पता नहीं लगाया जा सकने की स्थिति में ।

लॉकर को खोलने की प्रक्रिया अनुसूची-II में विस्तार से बताई गई है।

4. **दायित्वों और दायित्वों से बैंक का निर्वहन**

4.1 लॉकर की सामग्री के खराब होने या क्षति की स्थिति में बैंक किसी भी मामले में चाहे वह बारिश, आग, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, नागरिक अशांति अथवा दंगा या युद्ध

या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या इसी तरह के किसी अन्य कारणों की स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।

4.2 ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी कार्य से उत्पन्न सामग्री की किसी भी क्षति/हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

4.3 इस करार के प्रावधानों के अनुसार लॉकर को तोड़ने और उसकी सामग्री को नियंत्रित करने की स्थिति में बैंक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी व्यय, हानि (लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान और / या हानि सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4.4 लॉकर की सामग्री को किसी भी तरह से बैंक द्वारा बीमाकृत नहीं माना जाएगा, और बैंक के पास किसी भी जोखिम के खिलाफ लॉकर की सामग्री का बीमा करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

5. शाखा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना

विलय अथवा शाखा को बंद करने के कारण यदि शाखा को स्थानांतरित करना पड़ा और भौतिक रूप से लॉकर के स्थान को परिवर्तित करना अनिवार्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक इस संबंध में दो समाचार पत्रों (स्थानीय भाषा में एक स्थानीय दैनिक सहित) में सार्वजनिक सूचना देगा और ग्राहक को लॉकर को बदलने अथवा बंद करने के विकल्प सहित कम से कम दो महीने पहले अग्रिम सूचना प्रदान करेंगा।

6. मौजूदा ग्राहक पर लागू

मौजूदा करार के तहत लॉकर के संबंध में शुरू की गई और इस करार की तारीख तक जारी रहने वाली कोई भी कार्रवाई मौजूदा करार के निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप की जाती रहेगी और इस प्रकार की सभी कार्रवाई ग्राहक और बैंक दोनों के लिए वैध और बाध्यकारी होंगे।

7. सूचना

इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली सार्वजनिक सूचना के अलावा कोई भी नोटिस दिया जा सकता है और ऐसा नोटिस ग्राहक को दिया गया माना जाएगा यदि नोटिस ग्राहक को संबोधित है और पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है या व्यक्तिगत रूप से किसी के हाथ भेजा गया है और इसे ग्राहक के पते पर रहने वाले किसी वयस्क सदस्य द्वारा स्वीकार किया जाता है अथवा ई-मेल, फैक्स द्वारा भेजा जाता है जो अनुसूची I में उपलब्ध कराए गए पते या बाद में परिवर्तित किए गए पते पर प्रेषित किया गया हो ।

8. कानून और अधिकार क्षेत्र

यह करार भारतीय कानून के अधीन किया गया है और इससे उत्पन्न होने वाले सभी मामले उस स्थान पर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जहां बैंक शाखा स्थित है या जिस बैंक शाखा के अधिकार क्षेत्र में आता है।

<u>अनुसूची – I</u>

स्थान:		दिनांक :
	इस करार के पक्षकार	
1(a)	बैंक	**भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट** बैंक अधिनियम, 1955 के तहत निगमित, और शाखा के माध्यम से काम कर रहा है जो निम्नानुसार वर्णित है :
	शाखा का नाम और पता	
(b)	ग्राहक	सूचना देने हेतु नाम और पता :
		1 नाम: पता: ईमेल आईडी: टेलीफ़ोन का नंबर: मोबाइल नंबर:
		2 नाम: पता: ईमेल आईडी: टेलीफ़ोन का नंबर: मोबाइल नंबर:
		3 नाम: पता: ईमेल आईडी: टेलीफ़ोन का नंबर: मोबाइल नंबर:
2	लॉकर के विवरण	लॉकर नंबर: चाभी संख्या :
		लॉकर का आकार:
3	वार्षिक लॉकर किराया	रुपये (आंकड़ों में) : __ रुपये (शब्दों में: ___ (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) (अग्रिम में देय)
4	अन्य शुल्क	क) एक बारगी पंजीकरण शुल्क ख) लॉकर विजिट चार्ज घ) लॉकर किराया अतिदेय शुल्क
5	लाइसेंस की अवधि	इस करार की तारीख से 1 (एक) वर्ष जो ऐसे एक वर्ष के अंत में स्वचालित रूप से 1 (एक) वर्ष की अगली अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, जब तक कि इसकी शर्तों समाप्त न हो जाएं।
6	ऑपरेटिंग मेनडेट	
7	कोई अन्य शर्त	

अनुसूची – II
(लॉकर को तोड़ने की प्रक्रिया)

1. ग्राहक को नोटिस निम्नानुसार भेजे जाएंगे:

i) लॉकर किराए के भुगतान की मांग करने वाली सूचना लॉकर किराए के भुगतान की नियत तिथि को या उससे पहले ग्राहक को भेजी जाएगी।

ii) अनुस्मारक-I लॉकर किराए के भुगतान के लिए नियत तिथि से महीने बाद भेजा जाना है।

iii) अनुस्मारक- II लॉकर किराए के भुगतान के लिए नियत तिथि से दो महीने के बाद भेजा जाना है।

iv) अंतिम नोटिस नियत तारीख के 3 महीने बाद भेजा जाएगा जिसमें भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि लॉकर किराए का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक इस करार को समाप्त कर देगा। सभी नोटिस ग्राहक के पंजीकृत पते पर पंजीकृत डाक द्वारा पावती के साथ भेजे जाएंगे।

2. लॉकर को तोड़ने के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व, ग्राहक को बैंक की कार्रवाई का एक नोटिस (इस अनुसूची II के (1) (iv) में उल्लिखित अंतिम नोटिस के अलावा या ऊपर खंड 3.2.1 में उल्लिखित समाप्ति नोटिस के अलावा पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट (और ई-मेल द्वारा जहां ग्राहक का ई-मेल उपलब्ध है और एसएमएस और/या व्हाट्सएप जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है) भेजा जाएगा जिसमें लॉकर को तोड़ने की कार्रवाई की सूचना ग्राहक को दी जाएगी ("लॉकर तोड़ने का नोटिस")।

3. यदि लॉकर को तोड़ने की सूचना अनुसूची II के (1) (iv) में उल्लिखित अंतिम सूचना या खंड 3.2.1 में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार नोटिस भेजे जाने और इस करार और लॉकर को तोड़ने संबंधी दिए गए नोटिस, जैसा कि पूर्वोक्त दिया गया है या बैंक द्वारा उचित प्रयास किए जाने के बावजूद ग्राहक का पता नहीं लगाया जा सका है, तो बैंक लॉकर को तोड़ने से पहले लॉकर को तोड़ने के बैंक के निर्णय के बारे में कम से कम 3 (तीन) महीने का सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा। न्यूनतम 2 (दो) समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) उसी स्थान पर जहां ग्राहक रहता है जैसा कि करार में दिए गए ग्राहक के पते से स्पष्ट है या जैसा कि ग्राहक द्वारा बैंक को पूर्व में सूचित किया गया है।

4. जहां ग्राहक अंतिम सूचना के बाद भी लॉकर किराए का भुगतान करने में विफल रहता है या लॉकर में वस्तुओं को वापस लेने में विफल रहता है और खंड 3.2.1 में उल्लिखित समाप्ति नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर लॉकर की चाभी या पासवर्ड आदि सौंपने में विफल रहता है जैसा कि इस करार का 3.2.2 और ऊपर (2) और (3) में बताया गया तो ऐसे में बैंक

i) खंड 2.1 (एल) में बताए गए अनुसार बनाई गई सावधि जमा (यदि कोई हो) की राशि से लॉकर किराए को समायोजित करें।

ii) समिति की उपस्थिति में लॉकर को तोड़ने का अधिकार है। बैंक के 2 (दो) अधिकारियों और गवाहों के रूप में 2 (दो) स्वतंत्र व्यक्तियों की समिति का गठन करेगी।

5 ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद लॉकर को खोले जाने के उपरांत, बैंक लॉकर की सामग्री की एक सूची तैयार करेगा और बैंक/सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई सामग्री का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और लॉकर की सामग्री को अग्निरोधक तिजोरी में विस्तृत सूची के साथ एक सीलबंद लिफाफे में रखेगा।

6. तथापि, सार्वजनिक नीलामी आयोजित कर लॉकर की सामग्री की बिक्री करने से पहले, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा लिखित रूप में कम से कम 3 (तीन) महीने की सूचना (और (i) ईमेल द्वारा जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है; और ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है) अतिदेय लॉकर किराए और आकस्मिक खर्चों की वसूली के लिए लॉकर की वस्तुओं की नीलामी करने के बैंक के इरादे के बारे में ग्राहक को सूचना जारी किया जाएगा। उक्त सूचना ("नीलामी नोटिस") में नीलामी की तारीख, समय और स्थान होगा, इन्वेंट्री की एक प्रति भी उक्त नोटिस के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

7. लॉकर की वस्तुओं का निपटान, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है, तैयार की गई इन्वेंट्री में दर्ज किया गया है, या तो सार्वजनिक नीलामी में बिक्री द्वारा किया जाएगा और बिक्री से प्राप्त आय को पहले बैंक को ग्राहक की बकाया राशि (बकाया किराया, ब्रेकिंग ओपन चार्ज और किसी अन्य देय राशि सहित) पर लागू किया जाएगा और शेष राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी या ग्राहक के आदेश पर निपटान के लिए रखी जाएगी।

गवाह के रूप में, पार्टियों ने इन प्रस्तुतियों को दिए गए तारीख पर निष्पादित किया है जैसा कि अनुसूची -I और II में बताया गया है

ग्राहक के लिए			
	1	**2**	**3**
हस्ताक्षर			
नाम			
पदनाम/ क्षमता में *			

(*ऐसे मामले में जहां ग्राहक गैर-व्यक्तिगत है/व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं कर रहा है)

बैंक के लिए [बैंक का नाम / शाखा का नाम]:
हस्ताक्षर:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
पदनाम :

* करार के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें.